मेहनतकशों का पैग़ाम

मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

एसएचओ गया दलाल कायम 3
सख्त जान बेटियाँ ! 4
अपमानित लोकतंत्र! 5
बीमार होना मना है 8

वर्ष 31 अंक -28 फ़रीदाबाद 8-14 जुलाई 2018 फोन : - 9999595632 ₹ 2.50

पुलिस अफ़सर का बेटा डकैत, मंत्री पैरोकार : ऐसे हुआ था न्याय का बंटाधार

फ़रीदाबाद (म.मो.) फतेहाबाद (टोहाना) में दर्ज एक झूठे मुकदमे से लुधियाना में दर्ज एक सच्चे मुकदमे की सज़ा हुयी और वह भी फ़रीदाबाद में। सब उलटा-पलटा सा लगता है। लगे भी क्यों न जब पंजाब के एक सीनियर पुलिस अफ़सर का बेटा हीरा डकैती का सरगना हो और हरियाणा का एक मंत्री उसका सरपरस्त बन जाये।

दिनांक 9 अक्टूबर 2008 को पंजाब के थाना फ़िल्लोर में भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 394, 397, 323, 324,201 व 120 बी के तहत एफ़ आई आर नं. 214 दर्ज हुयी थी। हाई कोर्ट के आदेश पर 2013 में केस सैशन जज फ़रीदाबाद के पास भेज दिया गया था। सुनवाई पूर्व सैशन जज दर्शन सिंह, उनके बाद इन्द्रजीत मेहता और सवा साल से मौजूदा सैशन जज दीपक गुप्ता ने की और दिनांक 6 जुलाई को अंतिम फ़ैसले के तहत 5 अपराधियों को 10-10 साल व एक को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई। 3 जुलाई को 3 ओरोपियों को संदेह का लाभ देते हुये बरी कर दिया गया था।

हीरा व्यापारी के वकील, संजीव राव और वरूण वधवा ने हीरों की लूट के दस वर्ष पुराने केस में पांच को 10-10 साल व एक को 7 साल कैद कराई

मुकदमा, मुंबई की एक हीरा-जवाहरात कम्पनी महेन्द्रा ब्रदर्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सेल्समैन भावेश द्वारा दर्ज कराया गया था। भावेश करीब सवा चार करोड़ के हीरे लेकर हमेशा की तरह लुधियाना के फ़व्वारा चौक स्थित एक ज्वैलर की दुकान पर पहुंचा था। इसका मालिक था मोहित शर्मा। इसने हीरे देखने के बाद उन्हें नापसंद करके लौटा दिया।

भावेश ने आगे जालंधर जाना था। इसके लिये मोहित ने भाड़े की एक टैक्सी करा दी, जिसे रास्ते में मोहित और उसके ही आदमियों ने लूट लिया। इसमें खास बात यह थी कि लूटने वाले और कोई नहीं पुलिस वाले खुद रहे। ये पुलिसकर्मी मोहित के पिता शिव शर्मा के गनमैन आदि थे। शिव शर्मा उन दिनों एसपी डिटेक्टिव पटियाला तैनात थे जो डीजीपी पंजाब सुमेध सिंह सैनी के बहुत खास चहेतों में से एक समझे जाते थे। इसी प्रभाव के चलते फ़िल्लोर थाना पुलिस ने भी काम करने में ढिलाई बरती। लेकिन हीरा कम्पनी के राजनीतिक दबाव में पुलिस को ठीक से काम करना पड़ा। मोहित समेत तमाम 9 लोग़ों की गिरफ़्तारी व लूटे गये हीरों की बरामदगी हो गयी।

इतना सब होने के बावजूद हीरा कम्पनी को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि पंजाब में उनके मुकदमे की सुनवाई ठीक से हो पायेगी। इसी बीच मोहित ने अपने मोसेरे भाई हरप्रीत के माध्यम से फतेहाबाद के बलकार सिंह से कबूतरबाज़ी का एक मुकदमा भावेश को दबाने के लिये, नं. 176/2009, थाना टोहाना में दर्ज करा दिया। इसमें भावेश पर आरोप लगाया गया था कि भावेश पैसे लेकर लोग़ों को अवैध तरीके से विदेश भेजता है और इसी क्रम में उसने दिल्ली के एक होटल में बैठ कर टोहाना के बलकार सिंह से 15 लाख रुपये ठग लिये थे। आनन-फ़ानन में टोहाना पुलिस भावेश को गिरफ़्तार करने मुंबई भी पहुंच गयी। अब हीरा कम्पनी ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जहां से मामले की जांच डीजीपी हरियाणा के पास आई।

तत्कालीन डीजी (लॉ एंड आर्डर) वी.एन. राय की जांच रिपोर्ट से उज़ागर हुआ कि तत्कालीन कृषि मंत्री परमवीर सिंह के दबाव में एसएचओ टोहाना इंस्पेक्टर बिमला देवी ने झूठा मुकदमा

शेष पेज दो पर

फ़रीदाबाद-गुड़गांव टोल बैरियर पर मनमानी दरें

सरकारी संरक्षण में बढ़े लूट के भाव, विपक्षी भी बहा रहे घड़ियाली आंसू

फ़रीदाबाद (म.मो.) फ़रीदाबाद को गुड़गांव से जोड़ने वाली सड़क भूपेन्द्र हुड्डा अपने शासनकाल में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी को बेच गये थे। कम्पनी ने जून 2012 से टोल टैक्स वसूलना शुरू किया था। उसके बाद टोल टैक्स में यह तीसरी वृद्धि है जो 29-30 जून की मध्य रात्रि से 25 प्रतिशत बढा दी है। नई दरें इस प्रकार है:

वाहन	पुरानी दर	नई दर
कार	रु.20/30	रु.25/37.50
लाइट कर्मिशयल	110/165	120/180
बस	110/165	130/195
ट्रक	230/345	250/375
हैवी मोटर	300/450	300/450
ट्रैक्टर	60/90	70/105

लूट में हुई इस अप्रत्याशित वृद्धि से जहां, इस मार्ग पर आने-जाने वाले वाहन चालक परेशान हैं वहीं कांग्रेस व चौटाला पार्टी को भाजपा की खट्टर सरकार के विरुद्ध चिल्लाने व परेशान लोग़ों की हमदर्दी में घड़ियाली आंसू बहाने का एक बढिया अवसर प्राप्त हो गया। तमाम कांग्रेसियों को इस बात से कोई तकलीफ़ नहीं है कि टोल की दरें बढ गयी हैं, उन्हें तकलीफ़ है तो इस बात से कि लूट की योजना तो वे बना कर दे गये थे और इसकी मलाई आज भाजपाई खा रहे हैं। वे केवल इस ताक में हैं कि कब ये भाजपाई हटें और लूट में से उनको हिस्सा मिलने लगे।

विदित है कि बतौर मुख्यमंत्री हुड्डा ने ही 35 किलोमीटर की यह सड़क अनिल अम्बानी की उक्त कम्पनी को बेची थी। इसके लिये 150 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में जमा कराने के बाद कम्पनी ने सड़क बनाने की लागत 750 करोड़ मंजूर कराई थी। मंजूरी का मतलब केवल इतना ही था कि ब्याज व अन्य खर्चों सहित इसकी वसूली बजरिया टोल टैक्स जनता से की जा सके। आज जिस बढोतरी पर आंसू बहाने का नाटक कांग्रेसी कर रहे हैं उसका फसाना हुड्डा सरकार के साथ हुये कम्पनी के इकरारनामे में है।

वैसे कम्पनी ने सड़क बनाने की जो लागत सरकार से मंजूर कराई है वही ग़लत है। उस वक्त की कीमतों के अनुसार 2 करोड़ की लागत से एक किलोमीटर रेलवे लाइन बन जाया करती थी तो 35 किलोमीटर सड़क की लागत 750 करोड़ कैसे हो सकती थी? अधिक से अधिक 70 करोड़! जाहिर है कम्पनी ने लागत में उस रकम को भी जोड़ा होगा जो उस वक्त हुड्डा साहब व केन्द्रीय नेताओं को भेंट की गयी थी। यूं भी इस सड़क को बनाते समय जितना पत्थर खोद कर कम्पनी ने बेचा था, उसकी ही कीमत 100 करोड़ से कम नहीं थी।

टोल बूथ पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यहां से औसतन 73000 वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। इनसे प्रतिदिन कुल कमाई एक करोड़ के करीब हो जाती है। कम्पनी और सरकार के बीच हुए इकरारनामे के अनुसार कुल 17 वर्ष तक कम्पनी को इस लूट का अधिकार है। परंतु कम्पनी तरह-तरह की बहानेबाज़ी व राजनेताओं को मोटा चढ़ावा चढाकर सारी उम्र वसूली कर सकती है। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि अम्बानियों की रिलायंस कम्पनी की एक जेब में कांग्रेस व दूसरी में भजपा रहती आई है। हां जो दल सत्ता में रहता है उसका चढावा कुछ ज़्यादा ही होता है। मोदी सरकार तो वैसे भी इनके अहसानों तले दबी पड़ी है।

टोल टैक्स से छुटकारा पाने का रास्ता कुछ माह पूर्व महाराष्ट्र में राज ठाकरे दिखा चुका है। उसकी गुंडावाहिनी (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) ने जब टोल बूथों को उखाड़ फेंका और टोल कर्मचारियों को मार-पीट कर, दोबारा न आने की चेतावनी के साथ भगा दिया तो वहां की जनता को टोल से राहत मिल पाई। वैसे भी आजकल सरकारें प्यार-प्रेम व खाली-पीली बातचीत की भाषा कम ही समझ पाती हैं।

विपक्षी पार्टियों द्वारा दिखावटी प्रदर्शनों व बयानबाज़ी का मतलब कम्पनी यह समझती है कि इनको भी कुछ टुकड़ा चाहिये। टुकड़ा दे दिया जाता है और सब कुछ शान्त हो जाता है। करीब दो वर्ष पूर्व इसी रिलायंस कम्पनी द्वारा गदपुरी पर टोल बैरियर लगाने के विरुद्ध चौटाला पार्टी ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर ज़ोरदार धरना-प्रदर्शन किया था। लेकिन अब सब कुछ शान्त है। टोल बैरियर बनकर लगभग तैयार है। और वाहन चालकों की जेब कटाई होने जा रही है।

मोदी की चली तो बिजली के बिल डेढ़ से दो गुना हो जायेंगे

गिरीश मालवीय की विशेष रिपोर्ट

बताइये ! मोदी के राज में अडानी टाटा ओर एस्सार देश के सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं ! मोदी इन उद्योगपतियों की हितो की रक्षा करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी दरकिनार कर देने की हिम्मत दिखा रहे हैं।

कोई मीडिया कोई अखबार आपको यह नही बात रहा है कि मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुआई में ऐसा पैनल बनाया है जो इन तीनो कम्पनियो के हितो की रक्षा करने का कार्य करेगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ओवररूल करके लिया गया है।

कहा जाता है कि 2010 में इंडोनेशिया ने कोयले के दाम में बदलाव किये, जिसका असर टाटा और अडानी पावर पर पड़ा जो इंडोनेशिया से ही बिजली उत्पादन के लिए कोयला आयात करते थे। इसके बाद दोनों कंपनियों ने बिजली दरें बढ़ाने की बात कही, जिसका राज्य इकाइयों ने विरोध किया।

कंपनियों के फैसले के खिलाफ गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान की राज्य इकाइयों का ये केस 5 साल से भी लंबा चला। सीईआरसी के फैसले के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।

दरअसल यह तीनों कंपनियां बिजली दरें बढ़ाना चाहती थीं. ओर मोदी सरकार ने 2016 में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (सीईआरसी) की मार्फ़त टाटा और अडानी पावर को दरें बढ़ाने की अनुमति दे भी दी थी।

लेकिन जब यह केस सुप्रीम कोर्ट के पास पुहंच गया तो मोदी सरकार की एक नही चली। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अडानी पावर लिमिटेड और टाटा पावर अपने उपभोक्ताओं से यह कहकर ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते कि कोयला आयात के दाम बढ़ गए हैं। इस फैसले से यह भी साफ हो गया था कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बदलाव की वजह से पावर कंपनियां उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डाल सकतीं। साथ ही यह भी सुनिश्चित हुआ था कि गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान में बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा।

लेकिन इन फैसलों से अडानी ओर टाटा पावर के शेयरों के दाम गिर गए। मोदीजी अपने मित्रों का इतना बड़ा नुकसान देख नही पा रहे थे क्योकि सारे पावर प्लांट गुजरात मे ही तो स्थित थे। इसलिए इसका रास्ता निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में पैनल बनाया गया जो पावर परचेज अग्रीमेंट्स की समीक्षा करने के बाद टैरिफ में बढ़ोतरी करने या इन प्रॉजेक्ट्स के अक्विजिशन जैसे सुझाव दे सकता है।

पैनल वही सुझाव देगा जो अडानी-अंबानी चाहेंगे। इससे साफ़ भ्रष्टाचार का नमूना शायद ही मिले।